न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–160/2022

बिरेन्द्र द्विवेदी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

अनुप कुमार चौबे एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
08.12.2023	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख वादीगण की ओर से दिये गये आवेदन दिनांक 22.07.2023 के आदेश हेतु नियत है। वादीगण की ओर से दिनांक 22.07.2023 को आदेश 39 नियम 1, 2 एव दफा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अतंर्गत निषेधाज्ञा आवेदन दिया गया है। **आदेश (ORDER)** वादीगण के द्वारा दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक 22.07.2023 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद वादीगण के द्वारा मद न0–04 नालिश की एराजी पर अपने हक हकियत की घोषणा एवं दखल कब्जें की सम्पूष्टि सहित अन्य दादरसी के लिए दाखिल किया गया है। प्रतिवादी प्रथम पक्ष सय एराजी मद न0–04 नालिश की वस्तु स्थिति में परिवर्तन करने के लिए ईट, बालू, छड, सीमेन्ट एवं गिट्टी वगैरह एकत्रित कर लिया है तथा कभी भी सय एराजी पर ताजबरदस्ती निर्माण कार्य प्रारंभ कर सकता है तथा सय एराजी की वस्तु स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। वादीगण आपस में सगे भाई है। भूपनारायण दुबे के उत्तराधिकारी की हैसियत से यह वाद दाखिल किये है तथा रामपरसन दुबे के खानदान के है। वादीगण के द्वारा अपनी नालिश में रामपरसन दुबे के खानदान का कुर्सीनामा मद न0–01 में दिया गया है। खाता–60 खेसरा 203 रकबा 07 कट्ठा 17 धुर मौजा–कोईरंगावा खाता–67 खेसरा–151 रकबा 04 कट्ठा 04 धुर तथा खाता–78 खेसरा–12 रकबा 01 कट्ठा 10 धुर मौजा हरसरी में अवस्थित है। तीनों खाता का हालसर्वे खतियान रामपरसन दुबे के नाम तैयार हुआ। खेसरा–151 की खतियानी रकबा 04 कट्ठा 04 धुर है लेकिन नक्शा में रकबा 04 कट्ठा 04 धुरकी ही है। मलहु दुबे और सरदार दुबे के मरने के बाद उनके वारिसानों के	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–160/2022</u>

बिरेन्द्र द्विवेदी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

अनुप कुमार चौबे एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 08.12.2023	बीच तीनों खेसराओं सहित अन्य भूमि का जुबानी बंटवारा हुआ। गेना प्रसाद को बंटवारें में जो भूमि मिली उसका विवरण नालिश के मद न0–02 में है तथा जो भूमि सरदार दुबे के लडकों को हक हिस्से में मिली उसका विवरण मद न0–03 में दिया गया है। मद न0–02 नालिश एराजी का बंटवारा गेना दुबे के मरने के बाद उनके तीनों लडको के बीच हो गया। किन्तु खेसरा–151 में जो 11 धुर 04 धुरकी भूमि गेना दुबे को मिली थी वह कोला बारी तथा पक्षकारों के पानी गिराने के इस्तेमाल में चला आया तथा इस भूमि का गेना दुबे के लडको के बीच बंटवारा नही हुआ। खेसरा–151 की 11 धुर 04 धुरकी भूमि भूपनारायण दुबे के लडको तथा दिनेश्वर दुबे के बीच आधा–आधा बंट गयी है जिसमें पूरब की तरफ दिनेश्वर दुबे को तथा पश्चिम की तरफ वादीगण को संयुक्त रूप से मिला। जिसमें वादीगण के घर का पानी आज भी गिरता है। प्रतिवादी सं0–04 के द्वारा प्रतिवादी सं0–03 के पक्ष में सय एराजी के निस्वत एक गलत बयनामा लिख दिया गया है। जिसके कारण प्रस्तुत वाद दाखिल करने की आवश्यकता हुई। उक्त तथाकथित बयनामा के आधार पर प्रतिवादी सं0–03 के द्वारा प्रतिवादी प्रथम पक्ष के पक्ष में दिनांक 10.08.2022 को लिख दिया गया है जो बिल्कुल गलत तथा गैर कानूनी है। दोनों किता बयनामा के आधार पर केता और विकेतागण को कोई दखल कब्जा प्राप्त नही हुआ। दोनों बयनामा बिल्कुल गलत, गैरकानूनी, बेलाहकियत, दुरभावनापूर्ण निष्प्रभावी और शुन्य है। प्रतिवादी प्रथम पक्ष काफी दबंग एवं प्रभावशाली लोग है। जिनका संबंध अपराधिक प्रवृति के लोगों के साथ है। जिसके बल पर प्रतिवादी प्रथम पक्ष वादीगण को सय एराजी से बलपूर्वक बेदखल कर सय एराजी पर आवेदन के मद न0–क पर पक्का निर्माण कर सकते है तथा वादग्रस्त भूमि की वस्तुस्थिति में परिवर्तन कर सकते है। अतः प्रतिवादी प्रथम पक्ष को मद न0–क की भूमि की वस्तुस्थिति में परिवर्तन करने से नही रोका गया तो	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–160/2022</u>

बिरेन्द्र द्विवेदी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

अनुप कुमार चौबे एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 08.12.2023	वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया वाद वादीगण के पक्ष में है तथा सुविधा की तुला भी वादीगण के पक्ष में है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वादीगण के द्वारा दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन को स्वीकार करते हुये प्रतिवादी प्रथम पक्ष को मद न0–04 नालिश की भूमि की वस्तुस्थिति में परिवर्तन करने से तथा किसी तरह का निर्माण कार्य एवं बनावट खड़ा करने से वाद के अंतिम निष्पादन तक रोक लगाने की कृपा करें। प्रतिवादी सं0–01 एवं 02 की ओर से दिनांक 10.08.2023 को वादीगण के आवेदन का प्रत्युत्तर दाखिल किया गया तथा कहा गया कि प्रस्तुत वाद एवं निषेधाज्ञा आवेदन तथ्य एवं कानून दोनों ही दृष्टिकोण से खारिज योग्य है। वादीगण को निषेधाज्ञा आवेदन दाखिल करने का कोई हक एवं अधिकार नही है। वादीगण के पिता एवं उनके भाईयों के बीच हुये निबंधित बंटवारा दस्तावेज दिनांक 04.07.1989 का जानबुझकर उल्लेख नही किया गया है। गेना दुबे के तीनों पुत्रो के बीच रजिस्टर्ड बंटवारा दिनांक 04.07.1989 को हुआ है जिसमें खेसरा–203 की 07 कट्ठा 15 धुर भूमि का बंटवारा हुआ तथा इस बंटवारा में खेसरा–151 का कोई अंश सननिहित नही है। वादीगणों का एक क्षण भी खेसरा–151 की भूमि पर दखल कब्जा नही रहा है। प्रतिवादियों का बयनामा दस्तावेज दिनांक 10.08.2022 बिल्कुल सही एवं जायज दस्तावेज है और इसके आधार पर प्रतिवादीगण वाद दाखिल करने के पूर्व ही पक्का आवासीय मकान का निर्माण कर चुके है। खेसरा–151 की कुल भूमि सरदार दुबे के पुत्रों सत्यनारायण दुबे एवं विश्वनाथ दुबे के हिस्से में मिली थी जिसमें से सत्यनारायण दुबे के पुत्र शम्भुनाथ द्विवेदी ने खेसरा–151 का 11 धुर 04 धुरकी भूमि बयनामा दस्तावेज दिनांक 28.07.2022 दस्तावेज सं0–11322 से रिपुसुदन दुबे को बयनामा किया और दखल कब्जा दे दिया। रिपुसुदन दुबे ने दिनांक 10.08.2022 को	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–160/2022

बिरेन्द्र द्विवेदी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

अनुप कुमार चौबे एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 08.12.2023	दस्तावेज सं0–12056 से प्रतिवादीगणों को बिक्री कर दिया एवं दखल कब्जा दे दिया। अतः वादीगण का दावा गलत, काल्पनिक एवं बेबुनियाद है एवं निषेधाज्ञा आवेदन खारिज योग्य है। प्रतिवादी सं0–03 रिपुसुदन दुबे की ओर से दिनांक 12.09.2023 को वादीगण के निषेधाज्ञा आवेदन का प्रत्युत्तर दाखिल किया गया तथा वादीगण के निषेधाज्ञा आवेदन तथ्य एवं कानूनी दोनों दृष्टिकोण से खारिज योग्य बताया गया तथा खेसरा–151 रकबा–11 धुर 04 धुरकी भूमि गेना दुबे के हिस्से में नही होना बताया गया बल्कि सरदार दुबे के पुत्रों सत्यनारायण एवं विश्वनाथ दुबे के हिस्से में मिली होना बताया गया। जिसे सत्यनारायण दुबे के पुत्र शम्भुनाथ द्विवेदी ने दिनांक 28.07.2022 को दस्तावेज सं0–11322 के द्वारा प्रतिवादी सं0–03 रिपुसुदन दुबे को विक्रय किया जाना बताया है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद वादीगण के द्वारा मद न0–04 नालिश की एराजी पर अपने हक हकियत की घोषणा एवं दखल कब्जें की सम्पूष्टि सहित अन्य दादरसी के लिए दाखिल किया गया है। किसी भी निषेधाज्ञा आवेदन पर आदेश करने से पूर्व यह देखना होता है कि प्रथम दृष्टया वाद किसके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन किस ओर है? एवं यदि आवेदक का निषेधाज्ञा आवेदन स्वीकार नही किया जाता है तो इससे आवेदक को अपूर्णीय क्षति होगी अथवा नही तथा पक्षकारों का आचरण कैसा है? वादीगण का कहना है कि वादपत्र के मद न0–04 की वादग्रस्त भूमि वादीगण को बंटवारा में प्राप्त हुई थी तथा वादीगण के दखल कब्जें में है। जिस पर प्रतिवादी प्रथम पक्ष निर्माण सामग्री इक्ठ्ठा किये हुये है तथा वादग्रस्त भूमि की वर्तमान वस्तुस्थिति को बदलना चाहता है। वादीगण का कहना	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–160/2022

बिरेन्द्र द्विवेदी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

अनुप कुमार चौबे एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 08.12.2023	है कि वादग्रस्त भूमि खेसरा–151 रकबा 11 धुर 04 धुरकी कोला बारी तथा पक्षकारों के घर का पानी गिराने के इस्तेमाल में था। इस भूमि को गेना दुबे के लडकों के बीच बंटवारा में शामिल नही किया गया था तथा रामेश्वर दुबे तथा उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद खेसरा–151 की 11 धुर 04 धुरकी भूमि भुपनारायण दुबे के लडको तथा दिनेश्वर दुबे के बीच सुविधा से आधा–आधा बंट गयी तथा पूरब की तरफ दिनेश्वर दुबे को तथा पश्चिम की तरफ वादीगणों को भूमि मिली थी। जिसका विवरण मद न0–04 नालिश में दिया गया है। जबकि प्रतिवादीगण का कहना है कि खेसरा–203 का कुल रकबा गेना प्रसाद दुबे के हिस्से में तथा खेसरा–151 का कुल रकबा सरदार दुबे के पुत्रों के हिस्से में मिला था। गेना दुबे के तीनों पुत्रों के बीच रजिस्टर्ड बंटवारा दिनांक 04.07.1989 को हुआ। जिसमें खेसरा–203 की 07 कट्ठा 15 धुर भूमि का बंटवारा हुआ तथा इसमें खेसरा–151 का कोई अंश शामिल नही है। खेसरा–151 सरदार दुबे के पुत्रों के हिस्से में था जिसमें से सरदार दुबे के पौत्र शम्भुनाथ द्विवेदी ने दिनांक 28.07.2022 को वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सं0–03 को विक्रय कर दिया तथा प्रतिवादी सं0–03 ने दिनांक 10.08.2022 को प्रतिवादी प्रथम पक्ष को विक्रय कर दिया। इस प्रकार उभय पक्ष वादग्रस्त भूमि को बंटवारा में अपने हिस्से में मिली भूमि बता रहे है। वादग्रस्त भूमि वादीगण के हिस्से की भूमि है अथवा प्रतिवादीगणों के द्वारा वादीगणों के फरिकैन के हिस्से में प्राप्त भूमि को क्रय किया गया है, यह प्रश्न गुण–दोष के आधार पर ही निर्धारित किया जा सकता है। वाद अभी प्रारंभिक अवस्था में है। वादीगण का कथन है कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगणों का दखल कब्जा है। जबकि प्रतिवादी प्रथम पक्ष वादग्रस्त भूमि पर अपना कब्जा होना बताता है। वाद के इस स्तर पर किस पक्षकार का दखल कब्जा है, यह निर्धारित नही किया जा सकता है। अधिवक्ता आयुक्त के प्रतिवेदन दिनांक	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–160/2022</u>

बिरेन्द्र द्विवेदी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

अनुप कुमार चौबे एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 08.12.2023	14.09.2023 से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पर नया आवासीय पक्का छतदार मकान है। जिससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पर निर्माण कार्य हुआ है। वाद लंबन के दौरान वादग्रस्त भूमि का संरक्षक न्यायालय होता है तथा न्यायालय का यह परम कर्तव्य है कि वाद लंबन के दौरान वादग्रस्त भूमि की सुरक्षा करे तथा वादग्रस्त भूमि के स्वरूप को बदलने से बचाये। अतः वाद लंबन के दौरान न्यायालय के अग्रिम आदेश तक उभय पक्ष वादग्रस्त भूमि पर यथास्थिति (Status quo) बनाये रखेंगें। अतः वादीगण का निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक 22.07.2023 को निस्तारित किया जाता है। उक्त आदेश में किया गया विनिश्चयन वाद के अंतिम न्याय निर्णयन को प्रभावित नही करेगा। उभय पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि वाद के शीघ्र निष्पादन हेतु न्यायालय का सहयोग करें। वाद दिनांक 16.01.2024 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	